संख्या– 998 /अड़तीस–9–2012–500(17)/2012टी0सी0

प्रेषक,

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2013

विषयः विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1616/अडतीस–3–2001–500(16)/2000, दिनांक–26.04.2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कतिपय अन्य संशोधनों के साथ नया प्रस्तर–1.3 भी जोड़ा गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–1.3 को संशोधित करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

<u>प्रस्तर–1.3 का प्रतिस्थापन</u>

"विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि के 7.5 प्रतिशत की धनराशि के कार्यो की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिये विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमन्य है।"

"उक्त के अतिरिक्त विधान मण्डल के मा0 सदस्य प्रदेश के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि के 7.5 प्रतिशत की धनराशि मुख्य मंत्री राहत कोष (उ0प्र0) के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यो की संस्तुति कर सकते हैं, जो देश के किसी भी भू–भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमन्य है।"

3– उक्त के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के बाहर देश के किसी भू–भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिये विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रस्ताव के क्रम में स्वीकृत धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तर प्रदेश के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय।

4– तदनुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के सम्बन्ध में संदर्भित शासनादेश दिनांक–26.04.2001 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

–2/

संख्या— 998 (1)/अड़तीस—9—2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4— प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6— प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्धारित प्रकिया से अवगत कराने का कष्ट करें।
7— निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश।
8— निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
9— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11— अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक)अनुभाग—1
15— नियोजन अनुभाग—3/ग्राम्य विकास अनुभाग—3।
16— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।